न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 169/2022 राजस्व वाद

श्री भूपेश कुमार पुत्र श्री उदय लाल कोठारी आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– वादी

बनाम

1. श्रीमती कान्ता पुत्री श्री उदय लाल कोठारी आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती लीला पुत्री श्री उदय लाल कोठारी आयु वयस्क निवासी– ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादपत्र बाबत घौषणा

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार उपस्थित
3. मुकेश सिह तंवर –अधिवक्ता–प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक–12.12.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घौषणा का अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 कुल किता 07 रकबा 2.1119 हैक्टयर भूमि जो वर्तमान मे बिलानाम सरकार है, उक्त भूमि दिंनाक 13/01/1989 को राजस्व अभियान मे आंवटन कमेटी द्वारा वादी भूपेश कुमार एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के पिता उदय लाल महाजन को आंवटन हुई, वक्त आवंटन से ही वादी व उसके परिवार का कब्जा चला आ रहा है, उक्त आराजियात का नामान्तरणकरण वादी व उसके पिता के नाम पर दर्ज नही होने से उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 विवाहित होकर वादी के पिताजी के जीवन काल मे ही ससुराल चली गयी , जो ससुराल मे रह रही है। उक्त आराजियात वादी के नाम पर दर्ज नही होने की जानकारी दिनांक 09/11/2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान मे जानकारी हुई, जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 को उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज करने हेतु निवेदन करने पर टालमटोल करते रहे व दिनांक 05/12/2021 को इंकार कर दिया। वादी द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करने हेतु अनुतोष चाहा गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर वाद मे वर्णित तथ्यो की ताईद की गयी व प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा भी जवाब मे आंवटन को स्वीकार किया गया व कब्जा वादी का होने बाबत रिपोर्ट पेश की गयी। जो शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा वादी द्वारा प्रकरण मे वादी एवं वादी के पिता उदय लाल को भूमि आंवटन एवं जमा[illegible] नकल व 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही के दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित कि[illegible] ये [illegible] वादी स्वयं व गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] विवाद्यक कायम किये गये–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2025.02.22 18:09:20 IST
Reason: SelfAttested

1. कि आया वादी एवं वादी के पिता उदय लाल महाजन [illegible] आवंटित ग्राम ज्ञानगढ़ प[illegible] हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 767, 768, 769, 770, 771, 772,

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

773 कुल किता 07 रकबा 2.1119 हैक्टयर भूमि आंवटन की , जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही हुई, जिसे वादी राजस्व रेकार्ड मे अपनी भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है ?

——बजिम्मे वादी

2. आया प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे मे उठाये गये एतराजो के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ?

—— बजिम्मे प्रतिवादी

3. अनुतोष–

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का निवेदन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये, प्रकरण मे तहसीलदार करेडा का जवाब मे आंवटन को स्वीकार किया गया व कब्जा वादी का होने बाबत रिपोर्ट पेश की गई, वादी द्वारा प्रकरण मे वादी एवं वादी के पिता उदय लाल महाजन पुत्र श्री रंग लाल महाजन को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 कुल किता 07 रकबा 2.1119 हैक्टयर भूमि आंवटन होने बाबत आंवटन पत्रावली जिसमे प्रर्दश 01 वादी का भुमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र एवं प्रर्दश 02 वादी को भुमि आवंटन बाबत रिपोर्ट पटवारी तथा आवटन कमेटी दिनांक 13.01.1989 के आवंटन आदेश का अंकन किया गया है। इसी प्रकार प्रर्दश 03 वादी के मृतक पिता उदय लाल पिता रंग लाल का भुमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र एवं प्रर्दश 04 वादी के पिता को भुमि आवंटन बाबत रिपोर्ट पटवारी तथा आवटन कमेटी दिनांक 13.01.1989 के आवंटन आदेश का अंकन किया गया है। साथ ही वादी का प्रशनगत आराजियात पर प्रर्दश 05 लगायत 18 कब्जा होने बाबत 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही के दस्तावेज पेश किये । अतः उक्त आराजियात वादी एवं वादी के पिता उदय लाल महाजन को आंवटित होना प्रथम दृष्टया साबित है। वादी द्वारा मामले मे वादी व स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये जो **PW1**, **PW2** व **PW3** है के आधार पर भी उक्त भूमि पर वादी का कब्जा पाया गया है। उपरोक्त भूमि वादी एवं वादी के पिता को आंवटित है, उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर विवाद्यक संख्या 01 वादी अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहा है व विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष मे सिद्व पाया जाता है।

विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष मे सिद्व होने से विवाद्वक संख्या 02 एंव 03 भी स्वतः वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व सिद्व माने जाते है।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात व उक्त विवेचन के आधार पर ग्राम ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 कुल किता 07 रकबा 2.1119 हैक्टयर भूमि वादी एंव वादी के पिता उदय लाल पुत्र श्री रंग लाल महाजन को आंवटित होना प्रथम दृष्टया साबित है, जो कि बाद आंवटन राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज चली आ रही है व उक्त भूमि पर गवाहान के शपथपत्र अनुसार एवं मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का कब्जा है। वादी के पिता उदय लाल महाजन की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा वादी के वादपत्र मे [illegible] को स्वीकार किया है। वादी को ग्राम ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 कुल किता 07 रकबा 2.1119 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:09:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

घौषित किया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर वादी को ग्राम ज्ञानगढ़ पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 कुल किता 07 रकबा 2.1119 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:09:20 IST
Reason: SelfAttested